रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-267001
CG-DL-E-17102025-267001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947**
No. 680]	**NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947**

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (9) की खंड (iii) में, " नीलामी के पूर्ण होने पर" शब्दों के पश्चात्, "सार्वजनिक अवलोकन के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म द्वारा स्वचालित रूप से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 10 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा जो नियम 11 के अनुसार अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत होगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर , "नियम 11 के अनुसार अग्रिम संदाय की पहली किस्त और नियम 12 में यथाविनिर्दिष्ट निष्पादन प्रतिभूति पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यदि खनिज (नीलामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ होने से पूर्व अधिमानी बोली लगाने वाला घोषित किया जाता है, तो ऐसा अधिमानी बोली लगाने वाला उक्त नियमों के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और उक्त अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, आशय पत्र को अविधिमान्य कर दिया जाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी ।";

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) अग्रिम भुगतान और निष्पादन प्रतिभूति की पहली किस्त प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ऐसे भुगतान और निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अधिमानी बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी करेगी।";

(iii) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2क) यदि राज्य सरकार उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अधिमानी बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी नहीं करती है, तो इस नियम के उपनियम (3) की धारा (ख) और नियम 11 के अंतर्गत देय अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त की राशि आशय पत्र जारी करने में प्रत्येक महीने या उसके किसी भाग की देरी के लिए पांच प्रतिशत कम हो जाएगी और अधिमानी बोली लगाने वाले दूसरी किस्त के रूप में केवल शेष राशि का भुगतान करेगा।";

(iv) उपनियम (3) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(v) उपनियम (6) में,—

(क) दूसरे परंतुक में, "यदि विलंब के कारण अधिमानी बोली लगाने वाले के नियंत्रण से परे थे" शब्दों के स्थान पर, "यदि राज्य सरकार का समाधान होता है कि अधिमानी बोली लगाने वाले ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए सभी अपेक्षाओं की अनुपालन करने में सक्षम होगा और अधिमानी बोली लगाने वाले ने ऐसी अतिरिक्त अवधि की अनुमति देने से पहले अग्रिम राशि की सभी तीन किस्तों का संदाय कर दिया है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"***स्पष्टीकरण* -** यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अंतर्गत शर्तों का पालन न करने के कारण नीलामी रद्द होने की स्थिति में , यथास्थिति, बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति, और अग्रिम भुगतान की कोई भी किस्त जब्त कर ली जाएगी।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"10क. खनन पट्टे के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक के खनन पट्टे के निष्पादन के लिए समय-सीमा— (1) नियम 10 के उपबंधों के अधीन, खनन पट्टा प्रदान करने के लिए अधिमानी बोली लगाने वाला प्रत्येक चरण के लिए अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करेगा।

(2) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट चरणों को पूरा करने के लिए समय-सीमा के अनुपालन में देरी या गैर-अनुपालन के मामले में, राज्य सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशालय के निदेशक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें भारतीय खान ब्यूरो और राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग और राज्य सरकार के ऐसे अन्य विभाग के सदस्य होंगे, ऐसे बोली लगाने वाले को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इस बारे में विनिश्चय करेगी कि यथास्थिति, देरी या गैर-अनुपालन अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के कारण हुआ है।

(3) जहां उक्त समिति द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि ऐसा विलम्ब या गैर-अनुपालन, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के कारण हुआ है, वहां राज्य सरकार, अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट निष्पादन प्रतिभूति का ऐसा प्रतिशत विनियोजित करेगी।

(4) निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन पर, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले, विनियोजन आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति या टॉप-अप करेगा।

(5) अनुसूची 6 में निर्दिष्ट चरणों के लिए प्रदान किया गया समापन समय, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले, को मंजूरी, अनुमति या इसी तरह की अन्य चीजें समवर्ती रूप से या प्रदान की गई समय से पहले प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, यदि इसे ऐसी मंजूरी, अनुमति या इसी तरह से संबंधित विधि के अधीन अनुमति दी गई हो।

(6) समय-सीमा के विलंब अथवा गैर-अनुपालन पर यथास्थिति, निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन या गैर-विनियोजन पर उक्त समिति का विनिश्चय, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के उस पर लागू विधियों के अधीन अपेक्षित किसी अन्य शर्तों या समय-सीमा के अनुपालन के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

(7) उपरोक्त चरणों के लिए प्रदान की गई समय-सीमा के गैर-अनुपालन के लिए निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन या गैर-विनियोजन, नियम 10 के उप-नियम (6) के दूसरे उपबंध के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन के लिए इसकी अवधि के विस्तार के संबंध में राज्य सरकार के विनिश्चय को प्रभावित नहीं करेगा और किसी भी मामले में, नियम 10 के उप-नियम (6) के उपबंध के अधीन प्रदान की गई अवधि उक्त उपबंधों के अधीन अनुमत विस्तार की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(8) अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना या आवेदन पर कार्रवाई करने और विनिश्चय लेने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण को पर्याप्त समय प्रदान नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में 'अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के कारण देरी' के रूप में माना जा सकता है।

(9) यदि अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले, यथास्थिति, आशय पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट चरण - 3 को पूरा करने में सक्षम है, तो किसी भी चरण (यदि कोई हो) को पूरा करने में देरी के लिए विनियोजित निष्पादन प्रतिभूति की राशि राज्य सरकार द्वारा सफल बोली लगाने वाले के द्वारा देय नीलामी प्रीमियम के विरूद्ध समायोजित की जाएगी।

(10) इस नियम का उपबंध उन मामलों में भी लागू होगा जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ से पहले खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, उन चरणों के लिए जो अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए शेष हैं और ऐसे मामले में अनुपालन किए जाने वाले शेष चरणों में से पहले के लिए समय-सीमा उक्त नियमों के प्रारंभ की तारीख से शुरू होगी:

परंतु ऐसे मामलों में, नियम 10 के उपनियम (6) के परंतुकों के अधीन उपबंधित अवधि उक्त परंतुकों के अधीन अनुज्ञात विस्तार की अवधि से अधिक नहीं होगी।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 13 के उपनियम (2) में,—

(i) पहले परंतुक में, "निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित उत्पादन प्रारंभ करने की नियत तारीख" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"खनन पट्टा प्रदान किए जाने के लिए आशय पत्र के जारी करने की तारीख से पांच वर्ष";

(ii) पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

परंतु यह और कि समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के मामले में, पट्टेदार, समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से सात वर्ष से पहले उत्पादित और प्रेषित खनिज की मात्रा के लिए नियम 8 के अधीन उद्धृत रकम का केवल पचास प्रतिशत ही अदा करेगा:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के सिवाय) रियायत नियम, 2016 के नियम 9क के अधीन निहित आदेश जारी किया गया है:";

(iii) दूसरे परंतुक में, "परंतु और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु और यह भी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) स्पष्टीकरण में,—

(क) "प्रथम परंतुक" शब्दों के स्थान पर "प्रथम परंतुक और द्वितीय परंतुक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "नियत तारीख" शब्दों के स्थान पर "इस उपनियम में यथाविनिर्दिष्ट उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 18 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "15 दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "तीस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1क) के खंड (ख) मे, "उप-नियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उप-नियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1ख) यदि राज्य सरकार उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (1क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी नहीं करती है, इस नियम के उप-नियम (6) के खंड (ख) और नियम 11 के अधीन देय अग्रिम भुगतान की पहली किस्त की राशि आशय पत्र जारी करने में प्रत्येक महीने या उसके एक भाग की देरी के लिए पांच प्रतिशत कम हो जाएगी और अधिमानी बोली लगाने वाले केवल शेष राशि का भुगतान पहली किस्त के रूप में करेगा।";

(iv) उपनियम (3) में,—

(क) प्रथम परंतुक में, "संभावित" शब्द के स्थान पर "पूर्वेक्षण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, "यदि विलंब के कारण अधिमानी बोली लगाने वाले के नियंत्रण से बाहर थे" शब्दों के स्थान पर, "यदि राज्य सरकार का यह समाधान है कि अधिमानी बोली लगाने वाला ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के लिए सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपनियम (6) में,—

(क) उप-धारा (ख) में, "नियम 11 में निर्दिष्ट अग्रिम भुगतान की पहली किश्त" शब्द और अंक के पश्चात् "और नियम 19 के उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट संवर्धित निष्पादन सुरक्षा" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और भी कि यदि खनन पट्टे के लिए आशय पत्र खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ होने से पहले जारी किया गया है, तो समेकित अनुज्ञप्ति धारक को उक्त नियमों के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर नियम 19 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अनुसार बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी और उक्त अवधि के भीतर बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, आशय पत्र को अविधिमान्य कर दिया जाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी।";

(vi) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(6क) यदि राज्य सरकार उप-नियम (6) की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट समय के भीतर अधिमानी बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी नहीं करती है, तो इस नियम के उप-नियम (8) के उप-धारा (ख) और नियम 11 के अधीन देय अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त की राशि आशय पत्र जारी करने में प्रत्येक महीने या उसके किसी भाग की देरी के लिए पांच प्रतिशत कम हो जाएगी और अधिमानी बोली लगाने वाला दूसरी किस्त के रूप में केवल शेष राशि का भुगतान करेगा।";

(vii) उपनियम (8) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(viii) उपनियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 10 के उपनियम (6) के परन्तुकों के अधीन प्रदान की गई समयावधि, समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के अनुसरण में, खनन पट्टे के निष्पादन के मामले में लागू रहेगी।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"18क. समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक के खनन पट्टे के निष्पादन के लिए समय-सीमा— (1) नियम 18 के उपबंधों के अधीन, समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिमानी बोली लगाने वाले को प्रत्येक चरण के लिए अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करेगा।

(2) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा के अनुपालन में देरी या गैर-अनुपालन के मामले में, राज्य सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशालय के निदेशक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें भारतीय खान ब्यूरो और राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग और राज्य सरकार के ऐसे अन्य विभाग के सदस्य होंगे, ऐसे बोली लगाने वाले को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, इस बारे में विनिश्चय करेंगे कि विलम्ब या गैर-अनुपालन, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के कारण हुआ है ।

(3) जहां उक्त समिति द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि ऐसा विलम्ब या गैर-अनुपालन, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के कारण हुआ है, वहां राज्य सरकार, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट निष्पादन प्रतिभूति का ऐसा प्रतिशत विनियोजित करेगी।

(4) निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन पर, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाला या सफल बोली लगाने वाला, विनियोजन आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति या टॉप-अप करेगा।

(5) अनुसूची 7 में निर्दिष्ट चरणों के लिए प्रदान किया गया समापन समय, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाला या सफल बोली लगाने वाला, को मंजूरी, अनुमति या इसी तरह की अन्य चीजें समवर्ती रूप से या प्रदान की गई समय से पहले प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, यदि ऐसी मंजूरी, अनुमति या इसी तरह से संबंधित विधि के अधीन अनुमति दी गई हो।

(6) विलंब या समय-सीमा के गैर-अनुपालन पर निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन या गैर-विनियोजन पर उक्त समिति का विनिश्चय, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के उस पर लागू विधियो के अधीन अपेक्षित किसी अन्य शर्तों या समय-सीमा के अनुपालन के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

(7) उपर्युक्त चरणों के लिए प्रदान की गई समय-सीमा के गैर-अनुपालन के लिए निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन या गैर-विनियोजन, नियम 18 के उप-नियम (3) के दूसरे परंतुक के अनुसार समेकित अनुज्ञप्ति के निष्पादन के लिए अवधि के विस्तार के संबंध में राज्य सरकार के विनिश्चय को प्रभावित नहीं करेगा और किसी भी मामले में, नियम 18 के उप-नियम (3) के परंतुकों के अधीन प्रदान की गई अवधि उक्त परंतुकों के अधीन अनुमत विस्तार की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(8) अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना या आवेदन पर कार्रवाई करने और विनिश्चय करने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण को पर्याप्त समय प्रदान नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में 'अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के कारण देरी' के रूप में माना जा सकता है।

(9) यदि, यथास्थिति, अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले, समेकित अनुज्ञप्ति के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूची 7 में निर्दिष्ट चरण - 5 को पूरा करने में योग्य है, तो किसी चरण (यदि कोई हो) को पूरा करने में विलंब के लिए विनियोजित निष्पादन प्रतिभूति की राशि को राज्य सरकार द्वारा सफल बोली लगाने वाले द्वारा देय नीलामी प्रीमियम के अधीन समायोजित किया जाएगा।

(10) विनियोजन की स्थिति में, नियम 19 के उप-नियम (1) के अनुसार प्रस्तुत निष्पादन प्रतिभूति अनुसूची 7 के चरण - 1 और 2 के संबंध में विनियोजित की जाएगी तथा नियम 19 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रस्तुत निष्पादन प्रतिभूति चरण - 3 से 5 के संबंध में विनियोजित की जाएगी।

(11) इस नियम का उपबंध उन मामलों में भी लागू होगा जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ से पहले समेकित अनुज्ञप्ति के लिए आशय पत्र जारी किया गया है , उन चरणों के लिए जो अधिमानी बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए शेष हैं और ऐसे मामले में अनुपालन किए जाने वाले शेष चरणों में से पहले के लिए समय-सीमा उक्त नियमों के प्रारंभ की तारीख से शुरू होगी :

परंतु ऐसे मामलों में, नियम 18 के उपनियम (3) के परंतुकों के अधीन उपबंधित अवधि उक्त परंतुकों के अधीन अनुज्ञात विस्तार की अवधि से अधिक नहीं होगी।"।

8. उक्त नियमों में, अनुसूची 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात्:—

" अनुसूची 6

[नियम 10क (1), (2), (3), (5), (9) देखें]

खनन पट्टे के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक के संचालन की समय सीमा

क्र. सं.	**क्रियाकलाप**	**चरण पूरा होने की समयसीमा**	**चरण के पूरा होने में देरी के लिए विनियोजित की जाने वाली निष्पादन प्रतिभूति का प्रतिशत**
1	2	3	4
		चरण – 1	
1.	खनन योजना का अनुमोदन	खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी होने के 6 महीने के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी होने के 6 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%
		चरण – 2	
2.	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना	चरण-1 के पूरा होने से 18 महीने के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		चरण-1 के पूरा होने के 18 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%
		चरण – 3	
3.	खनन पट्टे का निष्पादन	चरण-2 के पूरा होने के 12 महीनों के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		चरण-2 के पूरा होने के 12 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%

अनुसूची 7

[नियम 18क (1), (2), (3), (5), (9) देखें]

समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक के संचालन की समय सीमा

क्र. सं.	क्रियाकलाप	चरण पूरा करने की समय सीमा	चरण के पूरा होने में देरी के लिए विनियोजित की जाने वाली निष्पादन प्रतिभूति का प्रतिशत
1	2	3	4
		चरण - 1	
1.	समेकित अनुज्ञप्ति का निष्पादन	समेकित अनुज्ञप्ति के लिए आशय पत्र से 12 महीने के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		समेकित अनुज्ञप्ति के लिए आशय पत्र जारी होने के 12 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%
		चरण - 2	
2.	खान (खनिज अंतर्वस्तु के साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसार संपूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कम से कम G2 स्तर की पूर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी करना तथा पूर्वेक्षण कार्यों की रिपोर्ट भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना	चरण -1 के पूरा होने के 36 महीनों के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		चरण -1 के पूरा होने के 36 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%
		चरण - 3	
3.	खनन योजना का अनुमोदन	खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी होने के 6 महीने के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		आशय पत्र जारी होने के 6 महीने बाद खनन पट्टे के लिए	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%
		चरण - 4	
4.	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना	चरण -3 के पूरा होने के 18 महीने के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		चरण -3 के पूरा होने के 18 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग की देरी के लिए 1%
		चरण - 5	
5.	खनन पट्टे का निष्पादन	चरण -4 के पूरा होने के 12 महीनों के भीतर	कोई विनियोग नहीं
		चरण -4 के पूरा होने के 12 महीने बाद	प्रत्येक माह या माह के किसी भाग के विलम्ब के लिए 1%”।

[फा सं. एम.VI-16/28/2023-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 406(अ), तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 255(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

G.S.R. 764(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (9), in clause (iii), after the words "on conclusion of the auction", the words "automatically by the online electronic auction platform for public view" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 10,—

(i) in sub-rule (1),—

(a) for the words "within fifteen days", the words and figures "and furnish performance security as specified in rule 12 within forty five days" shall be substituted;

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that in case where preferred bidder is declared before the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025, such preferred bidder shall furnish performance security within six months of the commencement of the said rules and in case of failure to furnish the performance security within the said period, the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction.";

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Upon receipt of the first instalment of the upfront payment and performance security, the State Government shall issue a letter of intent to the preferred bidder within thirty days of receipt of such payment and performance security.";

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) In case the State Government does not issue the letter of intent to the preferred bidder within the time specified in sub-rule (2), the amount of second installment of the upfront payment payable under clause (b) of sub-rule (3) of this rule and rule 11 shall reduce by five per cent. for the delay of each month or a part thereof in issue of the letter of intent and the preferred bidder shall pay only the remaining amount as the second installment.";

(iv) in sub-rule (3), clause (c) shall be omitted;

(v) in sub-rule (6),—

(a) in the second proviso, for the words "if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder", the words, "if the State Government is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the mining lease deed within such extended period and the preferred bidder has paid all three instalments of the upfront amount before allowing such further period" shall be substituted;

(b) after the second proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—

"***Explanation*.**— For the purpose of this rule, it is clarified that in case of annulment of the auction due to non-compliance of conditions under these rules, the bid security or the performance security, as the case may be, and any instalment of upfront payment paid shall be forfeited.".

4. In the said rules, after rule 10, the following rules shall be inserted, namely:—

"**10A. Timelines for execution of mining lease of mineral block auctioned for mining lease.**— (1) Subject to the provisions of rule 10, a preferred bidder for grant of mining lease shall comply with the timelines specified in Schedule VI for each milestone.

(2) In case of delay in compliance or non-compliance of the timelines for the completion of milestones specified in the said Schedule, a committee (hereinafter referred to as the said committee) under the chairmanship of the Director, Directorate of Mines and Geology of the State Government (by whatever name called) with members from the Indian Bureau of Mines and Revenue Department, Forest Department, Environment Department and such other concerned Department of the State Government shall take a decision as to whether delay or non-compliance is attributable to the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, after giving reasonable opportunity of being heard to such bidder.

(3) Where such delay or non-compliance is decided by the said committee to be attributable to the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, the State Government shall appropriate such percentage of performance security as specified in Schedule VI.

(4) Upon appropriation of performance security, the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, shall recoup or top-up the performance security within a period of two months period from the date of issue of the order of appropriation.

(5) The completion time provided for the milestones specified in Schedule VI shall not prohibit the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, from obtaining clearances, permission or the like concurrently or earlier than the time provided, if allowed under the law relating to such clearance, permission or the like.

(6) The decision of the said committee on appropriation or non-appropriation of performance security on delay or non-compliance of the timelines shall not affect the liability of the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, for compliances of any other conditions or timelines required under the laws applicable on such bidder.

(7) The appropriation or non-appropriation of performance security for non-compliance of the timelines provided for above milestones shall not affect the decision of the State Government regarding extension of period for execution of mining lease as per second proviso to sub-rule (6) of rule 10 and in any case, the period provided under provisos to sub-rule (6) of rule 10 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos.

(8) Submission of incomplete application or not providing sufficient time to the respective Government authority for processing and taking decision on the application, may be treated by the State Government as 'delay attributable to the preferred bidder or the successful bidder' in case of non-compliance of the timelines.

(9) If the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, is able to complete the milestone - 3 specified in Schedule VI within the period of three years from the date of issue of letter of intent, then the amount of performance security appropriated for delay in completion of any milestone (if any) shall be adjusted by the State Government against auction premium payable by the successful bidder.

(10) The provision of this rule shall also be applicable in the cases where the letter of intent for mining lease has been issued prior to the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025 for the milestones which are remaining to be complied by the preferred bidder or the successful bidder and the timeline for the first of the milestones remaining to be complied in such case shall start from the date of commencement of the said rules:

Provided that in such cases the period provided under the provisos to sub-rule (6) of rule 10 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos.".

5. In the said rules, in rule 13, in sub-rule (2),—

(i) in the first proviso, for the words "the scheduled date of commencement of production as given in the tender document:" the following shall be substituted, namely:—

"five years from the date of issue of letter of intent for grant of mining lease:

Provided further that in case of auction of composite licence, the lessee shall pay only fifty per cent. of the amount quoted under rule 8, for the quantity of mineral produced and dispatched earlier than seven years from the date of issue of letter of intent for grant of composite:

Provided also that the above provisos shall not be applicable in case where vesting order has been issued under rule 9A of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016:";

(ii) in the second proviso, for the words "provided further", the words "provided also" shall be substituted;

(iii) in the *explanation*,—

(a) for the words "first proviso", the words "first proviso and second proviso" shall be substituted;

(b) for the words "scheduled date of commencement of production", the words "date of commencement of production as specified in this sub-rule" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 18,—

(i) in sub-rule (1),—

(a) for the words "within fifteen days after", the words "within forty-five days after" shall be substituted;

(b) for the words "within fifteen days of", the words "within thirty days of" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1A), in clause (b), for the words, brackets and figure "sub-rule (2)", the words, brackets and figure "sub-rule (1)" shall be substituted;

(iii) after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1B) In case the State Government does not issue the letter of intent to the preferred bidder within the time specified in sub-rule (1) or sub-rule (1A), as the case may be, the amount of first installment of the upfront payment payable under clause (b) of sub-rule (6) of this rule and rule 11 shall reduce by five per cent. for the delay of each month or a part thereof in issue of the letter of intent and the preferred bidder shall pay only the remaining amount as the first installment.";

(iv) in sub-rule (3),—

(a) in the first proviso, for the word "Prospective", the word "Prospecting" shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the words "Prospective Licence Deed, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder", the words "prospecting licence deed, if the State Government is satisfied that the preferred bidder shall be able to comply with all requirements for execution of the prospecting licence deed within such extended period" shall be substituted;

(v) in sub-rule (6),—

(a) in clause (b), after the word and figures "rule 11", the words, brackets and figures "and the enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19" shall be inserted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case where letter of intent for mining lease has been issued before the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025, the holder of composite licence shall furnish the

enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19 within six months of the commencement of the said rules and in case of failure to furnish the enhanced performance security within the said period, the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction.";

(vi) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6A) In case the State Government does not issue the letter of intent to the preferred bidder within the time specified in clause (b) of sub-rule (6) of this rule, the amount of second installment of the upfront payment payable under clause (b) of sub-rule (8) of this rule and rule 11 shall reduce by five per cent. for the delay of each month or a part thereof in issue of the letter of intent and the preferred bidder shall pay only the remaining amount as the second installment.";

(vii) in sub-rule (8), clause (c) shall be omitted;

(viii) after sub-rule (9), the following explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation*.— For the purposes of this sub-rule, it is clarified that the time period provided under the provisos to sub-rule (6) of rule 10 shall continue to be applicable in case of execution of mining lease pursuant to auction of composite licence.".

7. In the said rules, after rule 18, the following rules shall be inserted, namely:—

"**18A. Timelines for execution of mining lease of mineral block auctioned for composite licence.**— (1) Subject to the provisions of rule 18, a preferred bidder for grant of composite licence shall comply with the timelines specified in Schedule VII for each milestone.

(2) In case of delay in compliance or non-compliance of the timelines for the completion of milestones specified in the said Schedule, a committee (hereinafter referred to as the said committee) under the chairmanship of the Director, Directorate of Mines and Geology of the State Government (by whatever name called) with members from the Indian Bureau of Mines and Revenue Department, Forest Department, Environment Department and such other concerned Department of the State Government shall take a decision as to whether delay or non-compliance is attributable to the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, after giving reasonable opportunity of being heard to the such bidder.

(3) Where such delay or non-compliance is decided by the said committee to be attributable to the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, the State Government shall appropriate such percentage of performance security as specified in Schedule VII.

(4) Upon appropriation of performance security, the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, shall recoup or top-up the performance security within a period of two months period from the date of issue of the order of appropriation.

(5) The completion time provided for the milestones specified in Schedule VII shall not prohibit the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, from obtaining clearances, permission or the like concurrently or earlier than the time provided, if allowed under the law relating to such clearance, permission or the like.

(6) The decision of the said committee on appropriation or non-appropriation of performance security on delay or non-compliance of the timelines shall not affect the liability of the preferred bidder or successful bidder, as the case may be, for compliances of any other conditions or timelines required under the laws applicable on him.

(7) The appropriation or non-appropriation of performance security for non-compliance of the timelines provided for above milestones shall not affect the decision of the State Government regarding extension of period for execution of composite licence as per the second proviso to sub-rule (3) of rule 18 and in any case, the period provided under the provisos to sub-rule (3) of rule 18 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos.

(8) Submission of incomplete application or not providing sufficient time to the respective Government authority for processing and taking decision on the application, may be treated by the State Government as

'delay attributable to the preferred bidder or the successful bidder' in case of non-compliance of the timelines.

(9) If the preferred bidder or the successful bidder, as the case may be, is able to complete the milestone - 5 specified in Schedule VII within the period of seven years from the date of issue of letter of intent for composite licence, then the amount of performance security appropriated for delay in completion of any milestone (if any) shall be adjusted by the State Government against auction premium payable by the successful bidder.

(10) In case of appropriation, the performance security submitted pursuant to sub-rule (1) of rule 19 shall be appropriated in respect of milestones - 1 and 2 of Scheule VII and the performance security submitted pursuant to sub-rule (2) of rule 19 shall be appropriated in respect of milestones - 3 to 5.

(11) The provision of this rule shall also be applicable in the cases where the letter of intent for composite licence has been issued prior to the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2025 for the milestones which are remaining to be complied by the preferred bidder or the successful bidder and the timeline for the first of the milestones remaining to be complied in such case shall start from the date of commencement of the said rules:

Provided that in such cases the period provided under the provisos to sub-rule (3) of rule 18 shall not be exceeded beyond the period of extension allowed under the said provisos.".

8. In the said rules, after SCHEDULE V, the following schedules shall be inserted, namely:—

"**SCHEDULE VI**

[*see* rule 10A (1), (2), (3), (5), (9)]

TIMELINES FOR OPERATIONALISATION OF MINERAL BLOCK AUCTIONED FOR MINING LEASE

S. No.	**Activity**	**Timeline for completion of Milestone**	**Percentage of performance security to be appropriated for delay in completion of Milestone**
(1)	(2)	(3)	(4)
Milestone – 1			
1.	Approval of mining plan	Within 6 months from issue of letter of intent for mining lease	No appropriation
		After 6 months from issue of letter of intent for mining lease	1% for delay of each month or a part of month
Milestone – 2			
2.	Grant of environment clearance	Within 18 months from the completion of Milestone – 1	No appropriation
		After 18 months from the completion of Milestone – 1	1% for delay of each month or a part of month
Milestone – 3			
3.	Execution of mining lease	Within 12 months from the completion of Milestone - 2	No appropriation
		After 12 months from the completion of Milestone – 2	1% for delay of each month or a part of month

SCHEDULE VII

[*see* rule 18A (1), (2), (3), (5), (9)]

TIMELINES FOR OPERATIONALISATION OF MINERAL BLOCK AUCTIONED FOR COMPOSITE LICENCE

S. No.	Activity	Timeline for completion of the Milestone	Percentage of performance security to be appropriated for delay in completion of Milestone
(1)	(2)	(3)	(4)
Milestone - 1			
1.	Execution of composite licence	Within 12 months from letter of intent for composite licence	No appropriation
		After 12 months from issue of letter of intent for composite licence	1% for delay of each month or a part of month
Milestone - 2			
2.	Completion of at least G2 level of prospecting in the entire licenced area in accordance with the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 and submission of report of prospecting operations to Indian Bureau of Mines and State Government	Within 36 months from the completion of Milestone-1	No appropriation
		After 36 months from the completion of Milestone-1	1% for delay of each month or a part of month
Milestone - 3			
3.	Approval of mining plan	Within 6 months from issue of letter of intent for mining lease	No appropriation
		After 6 months from issue of letter of intent for mining lease	1% for delay of each month or a part of month
Milestone - 4			
4.	Grant of environment clearance	Within 18 months from the completion of Milestone-3	No appropriation
		After 18 months from the completion of Milestone-3	1% for delay of each month or a part of month
Milestone - 5			
5.	Execution of mining lease	Within 12 months from the completion of Milestone-4	No appropriation
		After 12 months from the completion of Milestone-4	1% for delay of each month or a part of month".

[F. No. M.VI-16/28/2023-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and was last amended, *vide* number G.S.R. 255(E), dated the 23rd April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.10.17 22:27:22 +05'30'